

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:आदेश :-

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2019-20 की पालना में जिला कलक्टर, जयपुर के पत्र दिनांक 19 अगस्त 2019 के क्रम में नवीन राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण होने तक निम्नांकित राजकीय विद्यालय के भवन पानी-बिजली का व्यय वहन करने के साथ साथ विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों की पालना सुनिश्चित करने की शर्त पर अस्थाई संचालित करने की निदेशक महोदय के निर्देशानुसार अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	उपखण्ड	नवीन राजकीय महाविद्यालय	अस्थाई आवंटित विद्यालय	विशेष विवरण
1	चाकसू	महाविद्यालय चाकसू	रा०बा०उ०मा०वि०चाकसू	दक्षिण भाग स्थित 8 कमरे तथा विद्यालय समय पश्चात संचालन, पृथक प्रवेश द्वार
2	विराटनगर	महाविद्यालय विराटनगर	रा०उ०मा०वि०विराटनगर	उपरी मंजिल के पाँच कमरे
3	जयपुर	कन्या महाविद्यालय, किशनपोल जयपुर	रा०महाराजा बा०उ०मा०वि० छोटी चोपड, जयपुर	द्वितीय पारी में संचालन
4	जमवारामगढ	महाविद्यालय, जमवारामगढ	रा०उ०मा०वि०जमवारामगढ	द्वितीय पारी में संचालन
5	बस्सी	महाविद्यालय, बस्सी	रा०आदर्श०उ०मा०वि०बस्सी	द्वितीय पारी में संचालन
6	फागी	महाविद्यालय, फागी	रा०उ०प्रा०वि०नम्बर-2फागी	—

(प्रकाशचन्द्र जाटोलिया
(संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कमोंक : शिविरा-माध्य / साप्र / डी-2 / 3611 / अस्थाई आवंटन / 16-17 दिनांक : 26-08-2019
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-आयुक्त कालेज शिक्षा, शिक्षा संकुल जयपुर ।
- 2-संयुक्त निदेशक स्कुल शिक्षा जयपुर ।
- 3-प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, चाकसू / विराटनगर / जयपुर / जमवारामगढ / बस्सी / फागी
- 4-जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा जयपुर ।
- 5-प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्य, सम्बन्धित रा०उ०मा०वि० / रा०बा०उ०मा०वि० ।
- 6-रक्षित पत्रावली ।
- 7-ACP, मा.शि. बीकानेर 1

(संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर